

प्रश्नाकी दि 22-2-2003 से लयदेव

प्रपत्र सं० टी० टी०-13

व्यापार-कर विभाग, उत्तरांचल

रूप-पत्र (फार्म) 15

(उत्तर प्रदेश व्यापार-कर नियम, 1948 ई० का नियम 57 यथा उत्तरांचल में लागू देखिए)
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई० की धारा (क) के अधीन
रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र

पुस्तक-संख्या 64

क्रम-संख्या 54

रजिस्टर की संख्या RS 0131982 RS 0131982

खण्ड-2 नवविधेय हल्का (सर्किल)/उप-हल्का (सब सर्किल)

का व्यापार-कर अधिकारी/सहायक व्यापार-कर अधिकारी, एतद्वारा श्री/सर्वश्री इमालाजी खरीपा को 2002-03 कर-निर्धारण वर्षों के लिए निबद्ध (रजिस्ट्र) करता हूँ।

यह रजिस्ट्र 31 मार्च सदक तक प्रभावशील रहेगी। व्यापार का मुख्य

स्थान रानीचौरी डिग है और व्यापार सर्वश्री इमालाजी नाम तथा उपाधि से किया जाता है।

निम्नलिखित शाखाएं हैं :-
(1) इन्सरीयूट कार इन्वॉयरमेंट
(2) इमालाजी एंड इन्वॉयरमेंट
(3) रानीचौरी डिग

(4) _____ (5) _____

फर्म के मालिक/साझेदारों के नाम व पूरे पते निम्न हैं :-

श्री कमल लक्ष्मी शर्मा एंड श्री लालू लक्ष्मी शर्मा
रानीचौरी (डिग)

तारीख 07-3-2003

[Signature]
व्यापार-कर अधिकारी
व्यापार-कर अधिकारी

मुहर _____ मंडल (सर्किल)

Not Attention - HIFFED